न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :—श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या —36 / 2026

उनवान

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.रावताराम पुत्र कलाराम 2.हेमाराम पुत्र कलाराम जाति जाट,निवासी फरसाणी जाखडों की ढाणी जाखडों का तला तहसील रामसर जिला बाडमेर।	1.लालाराम पुत्र बालाराम 2.बालसिंह पुत्र लखमाराम 3.चैनाराम पुत्र चौखा 4.दुर्गाराम पुत्र चौखा 5.पुराराम पुत्र चौखा 6.भोमाराम पुत्र चौखा 7.मगनी पत्नी चौखा 8.रावताराम पुत्र जेठाराम 9.तारोदेवी पत्नी अमराराम 10.जीयाराम पुत्र लाखाराम 11.जीगाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट,निवासी फरसाणी जाखडों की ढाणी जाखडों का तला तहसील रामसर जिला बाडमेर 12.तहसीलदार रामसर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :— 17.04.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **25.02.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **फरसाणी जाखडों की ढाणी** पटवार मण्डल **खडीन** भूअनि खडीन के खसरा संख्या 1164 / 1048 रकबा 5.1800 हेक्टयर,किस्म भूमि बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे। प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्डडाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 11 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। विप्रार्थी संख्या 12 भूमिधारी होने से औपचारिक रूप से संयोजित किया गया। बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **फरसाणी जाखडों की ढाणी** पटवार मण्डल **खडीन** भूअनि खडीन के खसरा संख्या 1164 / 1048 रकबा 5.1800 हेक्टयर,किस्म भूमि बा.सो. भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000 / — अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों / अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। ... मोहर लगाकर जारी किया गया। यह आदेश आज दिनांक 17.4.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया। पत्रावली फेसल सुमार हो नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner